संख्या-18 /2023/311 /001-74-2002-002-6-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सहायक निदेशक (रेशम),
कानपुर/झाँसी/फतेहपुर,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 सितंबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या -83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)" के अन्तअर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः:115/सेरी0/लेखा/एरी बजट/2023-24 दिनांक 18 जुलाई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)" अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 69.00 लाख (रूपये उनहत्तर लाख मात्र) निम्न तालिका के अनुसार संबंधित जनपदों के सम्मुख उल्लिखित धनराशि की राज्यपाल महोदया उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

मद संख्या	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि
02	मजदूरी	40.00	40.00
29	अनुरक्षण	3.00	3.00
42	अन्य व्यय	5.00	5.00
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	17.10	17.10
	योग-	**65.00**	**65.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये पैसठ लाख मात्र)

योजनान्तर्गत उपर्युक्त धनराशि रू0 65.00 लाख जो कि मद संख्या-02-मजदूरी, 29-अनुरक्षण, 42अन्य व्यय तथा 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के लिये प्राविधानित की गयी है, को योजना से आच्छादित संबंधित जनपदों के लिये निम्नवत आवंटित किया जाता हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	02-मजदूरी	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	कानपुर नगर	7.३३	0.55	0.91	3.10	11.89
2	कानपुर देहात	6.98	0.55	0.87	2.96	11.36
3	उन्नाव	1.11	0.35	0.14	0.47	2.07
4	फतेहपुर	4.98	0.50	0.62	2.12	8.22
5	बाँदा	4.17	0.55	0.52	1.78	7.02
6	चित्रकूट	4.92	0.00	0.62	2.10	7.64
7	हमीरपुर	4.14	0.25	0.52	1.76	6.67
8	जालौन	6.37	0.25	0.80	2.71	10.13
	योग-	40.00	3.00	5.00	17.00	65.00

(रूपये पैसठ लाख मात्र)

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 25 मार्च, 2024 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा हैं।

(6) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय] जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये शर्तो/नियमों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2851007891200 (एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2851007891200 एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)	02 मजदूरी	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	083	2851007891200 एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	083	2851007891200 एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	083	2851007891200 एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
	कुल			**65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)**
महायोग	65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव

संख्या-18 /2023/311/001-74-2002-002-6-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट, एवं हमीरपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) वित्त (व्याय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(9) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(10) नियोजन अनुभाग-4
(11) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।